

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर

क्रमांक:F26(4)(36)/ पल्स पोलियो/IEC/ICDS/2017-18/ 28615-648 जयपुर दिनांक : 11-2-19

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त

विषय:— 10 मार्च, 2019 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस का आयोजन के संबंध में दिशा-निर्देश।

संदर्भ:— परियोजना निदेशक (इम्यू) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 3334 दिनांक 01.02.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि भारत देश को पोलियो मुक्त बनाये रखने हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य में 10 मार्च, 2019 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण का आयोजित किया जा रहा है। इस चरण में गत अभियान की भांति ही 5 वर्ष से छोटे बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन पिलायी जायेगी। प्रथम दिवस बूथ पर एवं अगले दिनों में दलों द्वारा घर-घर जाकर उन बच्चों को ओ.पी.वी. पिलायी जावेगी, जो किसी कारणवश बूथ पर नहीं आप पाये। इस संबंध में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

इस संबंध में संबंधित उपनिदेशक अपने जिले के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा-सहयोगिनियों को राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस को सफल बनाने हेतु निम्नानुसार निर्देशित करना सुनिश्चित करें:—

1. अभियान में मानव संसाधन उपलब्ध करवाया जाए।
2. बूथ दिवस पर आंगनबाड़ी केन्द्र खुले रखे जाएं।
3. बूथ दिवस पर अधिक से अधिक बच्चों को बूथ पर लाने हेतु प्रेरित किया जाए।
4. प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभाग के सभी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
5. प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अभियान की अवधि के दौरान विभाग की कोई बैठक/कार्यशाला अथवा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जावे। यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पहले से ही किसी विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने गई हुई है, उस केन्द्र पर कार्यरत सहायिका द्वारा इस अभियान हेतु कार्य संपादित किया जाये।
6. विभागीय स्तर से, इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु, यथासंभव संबंधित क्षेत्र की महिला पर्यवेक्षक द्वारा कार्यक्रम का सुपरविजन किया जावे।


निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:F26(4)(36)/ पल्स पोलियो/IEC/ICDS/2017-18/ 28649-957 जयपुर दिनांक : 11-2-19

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. निजी सचिव, सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज0 जयपुर
3. निदेशक, आरसीएच, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर
4. परियोजना निदेशक (इम्यू) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर
5. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ,।
6. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (आई)

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

कमांक: इम्यू./पल्स पोलियो अभियान(मार्च,19) (140)/2018-19/3334

दिनांक 01-02-2019

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी

विषय:- राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस (एन.आई.डी.) दिनांक 10 मार्च, 2019 को आयोजित होने के क्रम में।

संदर्भ :- निदेशालय का पत्र कमांक इम्यू./पल्स पोलियो अभियान(फरवरी,19) (140)/2018-19/3296 दिनांक 18-1-2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि उपायुक्त (इम्यू0), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र कमांक टी-22014/01/2018-इम्यू0 दिनांक 31-1-2019 के निर्देशानुसार दिनांक 10 मार्च, 2019 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस आयोजित किया जायेगा। अतः तदनुसार सभी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

परियोजना निदेशक (इम्यू0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान
7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान
8. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक-एन.एच.एम., राजस्थान।
9. निजी सहायक, निदेशक (आई.ई.सी.), मुख्यालय।
10. उपायुक्त (इम्यू.) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
11. निजी सहायक, निदेशक (आर.सी.एच.)/अतिरिक्त निदेशक (आर.सी.एच.)
12. अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, एवं निदेशक (जन स्वा0), चिकित्सा एवं स्वा0 सेवायें, राजस्थान
13. निदेशक (ई.एस.आई.), 4 नं0 डिस्पेन्सरी, अजमेर रोड, जयपुर
14. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान
15. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
16. निदेशक, आई.सी.डी.एस, राजस्थान, जयपुर
17. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर
18. परियोजना निदेशक (इम्यू0), मुख्यालय
19. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, राजस्थान, जयपुर
20. मुख्य चिकित्सा निदेशक, उत्तर-पश्चिम रेलवे मुख्यालय, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर
21. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान
22. एस.आर.टी.एल., डब्ल्यू.एच.ओ.-एन.पी.एस.पी. यूनिट, जयपुर
23. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को ई-मेल हेतु।

परियोजना निदेशक (इम्यू0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर